

सामान्य/बीपीएल/अन्त्योदय का नवीन/डुप्लीकेट राशनकार्ड जारी करने, यूनियों में संशोधन हेतु  
आवेदन पत्र  
फार्म अ

मूल्य 1 रुपया आवेदन पत्र सं. .... दिनांक ..... क्षेत्र सं ..... ग्राम ..... पंचायत समिति ..... जिला .....

**महत्वपूर्ण सूचना**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के खण्ड 4 तथा अनुलग्नक के पैरा 2 के बिन्दु 9 के अनुसार "राशनकार्ड पहचान के दस्तावेज" हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

मुखिया का फोटो प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी से सत्यापित कराकर चिपकावे।

आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

- नवीन राशनकार्ड हेतु पूर्व के राशनकार्ड के निरस्तीकरण बाबत जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी, जिला मुख्यालय से अन्य नगरपालिका में अधिशाषी अधिकारी तथा ग्राम पंचायत हेतु विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण पत्र।
- नवीन राशनकार्ड हेतु निवास बाबत प्रमाण यथा बिजली/पानी बिल, नवीनतम टेलीफोन, बोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रमाणित फोटोग्रति।
- पत्नी का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने, का प्रमाण।
- बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/ग्राम पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र की फोटोग्रति।
- मुखिया के दो पासपोर्ट साईज फोटो, एक फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकावे, सत्यापित करावे तथा दूसरा संलग्न करें।
- स्थानीय सरपंच, सचिव अथवा पटवारी व स्थानीय पार्षद से पहचान का प्रमाणित कराना।

हस्ताक्षर :

पद :

**आवेदक का विवरण**

(जो लागू न हो काट दें)

- आवेदक का पूरा नाम ..... पिता/पति का नाम ..... आयु .....
- निवास का पूरा पता ..... वार्ड/गांव .....
- मुखिया का व्यवसायिक पता .....
- आवेदक के परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण (जो उसके साथ एक रसोई में भोजन बनाते हैं)

क्र.सं.	मुखिया एवं सदस्य का नाम	उम्र	लिंग	आवेदक से सम्बन्ध	व्यवसाय
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

(यह स्थान कम पढ़ने पर सूची संलग्न करें)

- निम्नांकित नामों को मेरे राशनकार्ड नं. .... उ.मू.दु. सं. .... में सम्मिलित करने के लिये आवेदन करता हूँ :-

क्र.सं.	नाम	आवेदक से सम्बन्ध	उम्र	कारण
1				
2				

- निम्नांकित नाम जो मेरे राशनकार्ड नं. .... उ.मू.दु. सं. .... में दर्ज है, मैं से कम करने हेतु आवेदन करता हूँ

क्र.सं.	नाम	आवेदक से सम्बन्ध	उम्र	कारण
1				
2				

- जिले के नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत क्षेत्र में नये राशनकार्ड बनवाने हेतु विवरण

- मैं ..... (स्थान) में दिनांक ..... को ..... स्थान से स्थानान्तरण पर आया हूँ।
- मैं ..... (स्थान) में ..... निवास करता हूँ (अवधि लिखी जावे) परन्तु मैंने ऊपर वर्णित सदस्यों का राशनकार्ड नहीं बनवाया है।
- मेरे पास पूर्व में राशनकार्ड नं. .... स्थान ..... जारी वर्ष ..... यूनियो ..... का था उसके पश्चात कोई राशनकार्ड ऊपर वर्णित यूनियो का नहीं बनवाया है।
- इस आवेदन फार्म में जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति है/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।
- मेरा राशनकार्ड नं. .... उ.मू.दु. सं. .... था जो गुम/फट गया है। अतः डुप्लीकेट जारी करे। कार्ड की फोटोग्राफी/उचित मूल्य दुकानदार की रिपोर्ट/शपथ पत्र संलग्न है।

दिनांक

हस्ताक्षर आवेदक

- यह मकान जिसमें श्री ..... पुत्र श्री ..... परिवार सहित अवधि ..... से निवास कर रहे हैं। वह मेरी निजी सम्पत्ति है।

हस्ताक्षर मकान मालिक

(फार्म अ)

प्रतिपण

आवेदन पत्र सं. .... दिनांक .....

श्री ..... पुत्र श्री ..... का सामान्य/बीपीएल/अन्त्योदय नया/डुप्लीकेट कार्ड बनाने/सदस्य बढ़ाने/सदस्य कम करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक ..... को प्राप्त हुआ। आवेदक दिनांक ..... को उपस्थित हो।

वास्ते-सक्षम अधिकारी

९. घोषणायें :-

- (क) मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ।  
(ख) मेरे पास गैस कनेक्शन नं. .... गैस एजेंसी ..... डीबीसी/एसबीसी है/नहीं है।  
(ग) मेरा नाम बीपीएल चयन सूची वर्ष ..... क्रमांक ..... वार्ड ..... में/अन्त्योदय सूची वर्ष ..... क्रमांक ..... वार्ड ..... में है। हाँ/नहीं  
(घ) ऊपर वर्णित सदस्यों का नाम पहले से किसी भी अन्य राशनकार्ड में नहीं है और ना ही इस हेतु आवेदन किया गया है।  
(ङ) राशनकार्ड का उपयोग राशन वस्तुये प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं किया जावेगा।  
(च) राशनकार्ड सरकार की सम्पत्ति है। इसे जब भी सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करने को कहेंगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तथ्यों की जांच कभी भी की जा सकती है। गलत सूचना पाये जाने पर मेरा राशनकार्ड निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।  
(छ) ऊपर दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर आवेदक

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... ने नया/डुप्लीकेट राशनकार्ड बनवाने, नाम बदवाने/कम करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र दिया है एवं इसमें जो विवरण दिये है, वह सही है। मैंने प्रमाण पत्र देने से पूर्व इनकी सत्यता की जानकारी कर विश्वास कर लिया है। अतः इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जावे।

दिनांक .....

हस्ताक्षर (मोहर सहित)

राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान पंचायत समिति/ जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य/वार्ड पार्षद/सरपंच/पटवारी/ ग्राम सेवक/सेक्टर, पोस्ट, डिविजन वार्डन नागरिक सुरक्षा सेवा

सत्यापन रिपोर्ट

मैं ..... पद ..... द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच मौके पर कर ली है। आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार/अस्वीकार कर राशनकार्ड जारी करना/नहीं करना उचित होगा। आवेदन निरस्त करने के निम्न आधार है :-

- 1.....
- 2.....

हस्ताक्षर जांच कर्ता  
पद, मोहर व दिनांक

कार्यालय द्वारा कार्यवाही

चेक लिस्ट

क्या आवेदक द्वारा निम्न वर्णित दस्तावेज संलग्न किये है :-

1. पूर्व का राशनकार्ड निरस्तीकरण बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण पत्र। हाँ/नहीं
2. निवास बाबत प्रमाण यथा बिजली/पानी बिल, नगर निगम/जेडीए गृहकर रसीद, वोटर पहचान पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति। हाँ/नहीं
3. पत्नी का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने/शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र। हाँ/नहीं
4. बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र की फोटोप्रति। हाँ/नहीं
5. मुखिया के दो पासपोर्ट साईज फोटो। हाँ/नहीं
6. आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ स्वयं, मकान मालिक के हस्ताक्षर सहित तथा प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर सील सहित। हाँ/नहीं
7. प्रवर्तन निरीक्षक/जांच कर्ता ..... द्वारा की गई अनुशंसा। हाँ/नहीं
8. डुप्लीकेट राशनकार्ड हेतु पूर्व प्रचलित कार्ड की फोटोप्रति/उ.मू.दु. की रिपोर्ट/शपथ पत्र हाँ/नहीं
9. कार्यवाही हेतु अनुशंसा .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर रसद लिपिक

आदेश

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेज/जांच निरीक्षक के क्रम में नवीन/डुप्लीकेट/सामान्य/बीपीएल/अन्त्योदय राशनकार्ड जारी करे। संलग्न राशनकार्ड में यूनिट ..... कम कर समर्पण प्रमाण पत्र जारी करे/यूनिट ..... राशनकार्ड में दर्ज करे। यूनिट रजिस्टर में भी आवश्यक इन्द्राज करे।
2. जांच अधिकारी के सत्यापन/कार्यालय रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। आवेदक को सूचित करे।

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी  
पद, मोहर व दिनांक

कार्यवाही विवरण

- (अ) श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... का सामान्य/बीपीएल/अन्त्योदय नवीन/डुप्लीकेट राशनकार्ड क्रमांक ..... यूनिट ..... उ.मू.दु. .... सीडीकोड ..... बनाया जाकर डिस्पेच क्रमांक ..... दिनांक ..... जारी कर दिया गया है तथा सम्बन्धित उ.मू.दु. .... के यूनिट रजिस्टर में भी इन्द्राज कर दिया गया है।
- (ब) श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... का सामान्य/बीपीएल/अन्त्योदय के राशनकार्ड नं. .... उ.मू.दु. सं. .... में ..... यूनिट कम/बढ़ाकर राशनकार्ड तथा सम्बन्धित यूनिट रजिस्टर में इन्द्राज कर दिया गया है तथा यूनिट कम करके/पूर्ण कार्ड निरस्त करके समर्पण प्रमाण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... जारी कर दिया गया है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर रसद लिपिक